


कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,  
क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा  
(छ०ग०)



Office of Town & Country Planning Korba (C.G.)

कार्यालय - रामपुर, कोरबा, डिस्ट. कोरबा (छ०ग०)  
फोन नं. - 07759-221158  
ई-मेल - cgtownplan.korba@gmail.com

Add. - Rampur, Korba, Dist. Korba (CG)  
Tel. No. - 07759-221158  
E-Mail - cgtownplan.korba@gmail.com

क्रमांक / 1412 / वि.अ. 08 / नयानि / 2018  
प्रति,

कोरबा, दिनांक 31/12/2018

मेसर्स सृजन बिल्डर्स,  
भागीदार श्री अशोक कुमार अग्रवाल,  
पिता श्री रसीक बिहारी अग्रवाल,  
निवासी सार्वमंगला भवन निहारिका रोड कोरबा,  
जिला-कोरबा (छ०ग०)

विषय:- विकास अनुज्ञा बावत।  
संदर्भ - आगका आवेदन पत्र दिनांक 04/12/2018.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित ग्राम-लाटा, प.ह.नं. 18/26, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 17/3, 19, 30/1, 30/2, 28, 29/1 का माग. कुल रकबा 144316 वर्गफुट/3.31 एकड़ भूमि पर कोरबा विकास योजना 2031 में निर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार आवासीय (मूखण्डीय) उपयोग हेतु विकास को कार्यान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30(3) एवं छ०ग०भूमि विकास नियम-1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है -

01. अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्यता पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहत की जा सकेगी।
02. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक है।
03. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
04. परिसर में आवश्यक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, मार्गों का विकास, खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना आवश्यक होगा।
05. स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
06. क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा द्वारा पूर्व स्वीकृत अभिन्यास ग्राम लाटा में पुष्पलव कॉलोनी फेस-1, फेस-2, फेस-4 में प्रमुख मार्गों की पहुंच मार्ग की चौड़ाई 25 फीट रखा गया है, उसी मार्गों को समन्वय करते हुये प्रश्नाधीन भूमि (फेस-6) में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 25 फीट रखा गया है। (मानचित्रानुसार)।
07. छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 33 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम अनुज्ञा दिनांक से अधिकतम पांच वर्षों तक हो सकेगी।
08. भवन निर्माण की अनुमति नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.) से प्राप्त करना आवश्यक है। भवन निर्माण के पूर्व एच.टी./एल.टी. विद्युत लाईन के समानांतर भूमि विकास नियमों के अनुसार खुली भूमि रखा जाना आवश्यक होगा।
09. इस अनुज्ञा का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्ध-शासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है। अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता, इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
10. स्वीकृत विकास अनुज्ञा अंतर्गत अनुमोदित लेआउट में प्रचलित कालोनी नियमों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.आदि का प्रावधान किया गया है, छ०ग० निगम पालिक (कालोनाइजर का निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998 संशोधन (2013) के नियम 12 में कालोनी विकास की अनुमति जारी करने के पूर्व सुनिश्चित करना